

कार्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(बीपी)/का.वि./2018/4255

दिनांक:- 08.06.2018


--कार्यवाही विवरण--

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 3/2018 वीं बैठक दिनांक 08.06.2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या	जोन	विषय	निर्णय
01	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 147 के भूखण्ड क्षेत्रफल 14618.80 वर्गमीटर पर होटल उपयोग के अनुमोदित भवन मानचित्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रीजन भवन) विनियम, 2013 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में भवन मानचित्र में संशोधित करते हुए संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक :- श्रीमति ज्योत्सना कंवर पत्नी श्री पंकज प्रजाप सिंह राजपुत</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <p>प्रकरण में दिनांक 20.09.2010 को भूखण्ड पर होटल योजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.01.2016 को निर्मित भवन का अधिवास प्रमाण पत्र (Completion Certificate) प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र मय संशोधित भवन मानचित्र प्रस्तुत किये गये।</p> <p>उक्त के संबन्ध में प्रकरण बीपीसी (बीपी) बैठक दिनांक 11.05.2017 में प्रस्तुत किया गया।</p> <p>बीपीसी (बीपी) बैठक के निर्णय के क्रम में दिनांक 12.06.2017 को बिना स्वीकृति निर्माण शास्त्रि, अतिरिक्त निर्माण पर अनुमोदन शुल्क, जांच शुल्क व नवीनीकरण शुल्क हेतु रुपये 7,81,887.00/- का मांग पत्र जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.06.2017 को रुपये 7,81,887.00/- प्राधिरण में जमा कर दिनांक 20.06.2017 को पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्षा जल संग्रहण, विकलांगों हेतु रेम्प व व्हीलचेयर की व्यवस्था व सौर उर्जा उपकरण लगाने के प्रावधान का उल्लेख किया गया है।</p> <p>प्रकरण में पूर्व भवन मानचित्र अनुमोदन दिनांक 20.09.2010 हेतु लिये गये शुल्क पर ऑडिट पेरा अनुसार आवेदन शुल्क व अमानत राशि (रिफण्डेबल) रुपये 24,85,200/- हेतु मांग पत्र जारी किया गया।</p> <p>उक्त के संबन्ध में प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.11.2017 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि मौके पर वर्षा जल संग्रहण व सौर उर्जा सयन्त्र का प्रावधान कर दिया गया है, अतः अमानत राशि लेने का औचित्य नहीं है। संबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता की वर्तमान मौका रिपोर्ट दिनांक 11.12.2017 के अनुसार मौके पर वर्षा जल संग्रहण हेतु दो टांके (27'x17'3"x10') व (15'6"x10'x10') निर्मित है, जिसमें वर्षा जल संग्रहित कर उपयोग में लिया जा रहा है। 400 लीटर क्षमता के 3 सौर उर्जा सयन्त्र कुल 1200 लीटर क्षमता सयन्त्र मौके पर लगे हुए हैं। मौके पर 250-300 पेड पोथे लगे हुए हैं व पाकिंग की व्यवस्था मौके पर है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में आवेदित भूमि पर निर्मित भवन में वर्षा जल संग्रहण/सौर उर्जा सयन्त्र/विकलांगों हेतु प्रावधान इत्यादी की नवीन मौका रिपोर्ट ली जावे। यदि मौके पर उक्त की पालना कर ली गयी हो तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे। साथ ही मौके पर किये गये प्रावधानों की फोटो पत्रावली में संलग्न की जावें। 2. अनुमोदित भवन मानचित्र व मौके पर निर्मित भवन मानचित्र में भिन्नता होने से नियमानुसार जो भी राशी वसुलनीय हो, राशी जमा करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। 3. मानचित्र में प्रस्तावित पाकिंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पाकिंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 4. वास्तुविद से शपथ-पत्र लिया जावे।
02	पूर्व	<p>व्यवसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत।</p> <p>राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नं. 11 11- मीन व अन्य के भूखण्ड संख्या-01, क्षेत्रफल 855.01 वर्गमीटर पर भवन निर्माण स्वीकृती।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री अमराराम कुमावत, शास्त्रीनगर, जोधपुर</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मानचित्र में प्रस्तावित पाकिंग हेतु आवेदक जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पाकिंग उपयोग में लिया जावेगा एवं विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण से करेगा। 2. वास्तुविद से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 3. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है। 4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।



			<p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 के कम में प्रार्थी से शपथ पत्र लिया जावे। 2. वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जावे। 3. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति ली जावे। 4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।
03 (अ)	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/7 के आवासीय एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 10344.31 वर्गगज (8649.18 वर्ग मीटर) पर अनुमोदित आवासीय प्रयोजनार्थ भवन में अतिरिक्त उचाई व अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु संशोधित भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री ओसिया कॉर्पोरेशन जरिये श्री नरेन्द्र बुधवानी पुत्र श्री कन्हैयालाल बुधवानी।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में प्रस्तावित एफ.ए.आर. 2.25 से अधिक है, व अधिकतम ऊंचाई 40 मीटर से अधिक है। अतः राज्य सरकार से पूर्वानुमति आवश्यक है। 2. प्रकरण में निर्मित क्षेत्रफल 20000 वर्गमीटर से अधिक है। अतः पर्यावरण विभाग से अनापत्ति पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 3. प्रकरण में मुख्य योजना की एवज में EWS फ्लैट्स का निर्माण अन्यत्र ग्राम पाल के खसरा नं. 315 की स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 91 में किये जाने हेतु भवन निर्माण स्वीकृती हेतु पत्रावली प्रक्रियाधीन है। 4. प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 15.09.2017 अनुसार भूखण्ड पर स्ट्रिक्ट+12 मंजिल के आवास निर्माणाधीन पाये गये जो कि अनुमोदन से अतिरिक्त है, अतः अतिरिक्त निर्माण पर बीना स्वीकृति निर्माण शास्त्रि ली जानी अपेक्षित है। 5. वर्षा जल संग्रहण हेतु शेष 14 यूनिट दर्शाये जाने अपेक्षित है। 6. भू-जल विभाग से अनापत्ति पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 7. अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 8. प्रकरण में दो ब्लॉक्स के मध्य दूरी ऊंचे ब्लॉक की ऊंचाई की 1/4 आवश्यक है परंतु आवेदक द्वारा ब्लॉक A व F के मध्य दूरी 1/4 से कम है। 9. दो Fire escape staircases आवश्यक है परंतु प्रार्थी द्वारा सीढीयों के मध्य लेंडिंग से दूसरी staircase दर्शायी है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। 10. मौके पर भवन निर्मित है परंतु आवेदक द्वारा वर्तमान में बेसमेंट प्रस्तावित किया गया है। अतः इस बाबत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सुरक्षा हेतु प्रमाण पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 11. प्रस्तावित भवन के 40 मीटर से अधिक ऊंचाई होने के कारण ऊपरी मंजिल पर 13 मीटर सेटबैक आवश्यक है। 12. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 13. वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 14. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया तथा राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति पश्चात् ही भवन मानचित्र जारी किये जायें।</p>
03 (ब)	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 319/7 के आवासीय एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 10344.31 वर्गगज (8649.18 वर्ग मीटर) पर आवासीय प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती की एवज में राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 315 के आवासीय भूखण्ड संख्या 91, क्षेत्रफल 1200.82 वर्गगज (1004.00 वर्ग मीटर) पर आवासीय (EWS/LIG आवास) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री ओसिया कॉर्पोरेशन जरिये श्री नरेन्द्र बुधवानी पुत्र श्री कन्हैयालाल बुधवानी।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित एफ.ए.आर. मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक है। अतः नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जानी अपेक्षित है। 2. प्राप्त मौका रिपोर्ट पेरा संख्या 07 अनुसार 60 फीट मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण है। 3. प्राप्त पटवारी रिपोर्ट पेरा संख्या 11 अनुसार आवेदक की भूमि बाडमेर, सालावास सडक बाईपास सडक एवं मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित 120 फीट चौड़ी सडक के मध्य का क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, आरक्षित दर 2500/- रुपये प्रति वर्गमीटर है। मूल प्रयोजना व EWS/LIG भूखण्ड की आरक्षित दर समान होनी आवश्यक है। 4. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.16 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 5. वास्तुविद् से शपथ-पत्र लिया जाना अपेक्षित है। 6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 02.05.2012 व 06.06.2015 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात् 3 माह में कार्य आरंभ व 2 वर्ष में कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। 7. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिन्दु संख्या 1 के कम में मानक एफ.ए.आर. 1.33 से अधिक एफ.ए.आर.





			<p>पर नियमानुसार बेटरमेन्ट लेवी ली जावे।</p> <ol style="list-style-type: none"> बिन्दु संख्या 2 के कम में 60 फीट मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया। बिन्दु संख्या 3 के कम में मूल प्रयोजना व EWS/LIG भूखण्ड की आरक्षित दर समान है, अतः मूल प्रयोजना में प्रस्तावित एफ.ए.आर. के समानुपात में मुख्यमन्त्री जन आवास योजना-2015 के प्रवधानानुसार 7.5 प्रतिशत EWS/LIG आवास रखे जावे। बिन्दु संख्या 4 व 5 के कम में अण्डरटेकिंग व शपथ-पत्र लिया जावे। बिन्दु संख्या 6 के कम में मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात् 3 माह में कार्य आरंभ व 2 वर्ष में कार्य पूर्ण किये जाने की शर्त अनुमोदन पत्र में अंकित की जावे। भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क यथा आवेदन शुल्क, जांच शुल्क, भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क आदि लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।
04	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम धिनाण की ढाणी के खसरा नम्बर 571/8 व 571/9 के आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 1029 वर्गगज (860.44 वर्ग मीटर) पर आवासीय (स्वतंत्र आवास) प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक :- श्री पुखराज शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा वगैरा जोधपुर।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 11.04.2018 के अनुसार भूखण्ड पर अलग-अलग टुकड़ी में पत्थर की दिवारे व बीच-बीच में आर.सी.सी. कॉलम का निर्माण पाया गया है। प्रस्तुत मौका पत्रावली के पेरा संख्या 07 पर अंकित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में निर्णय लिया गया कि मौके पर सेटबैक क्षेत्र में निर्मित निर्माण के संबन्ध में पुनः रिपोर्ट ली जावे तथा सेटबैक क्षेत्र में निर्माण पाये जाने पर हटाया जावे तथा सेटबैक क्षेत्र में निर्माण हटाने के पश्चात् ही प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
05	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत्।</p> <p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1 वगैरह के भूखण्ड संख्या 92 क्षेत्रफल 88.88 वर्गगज (74.32 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक :- श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी, जोधपुर।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जारी साईट प्लान, जोधपुर भवन विनियम -2013 अनुसार जारी है, जिसके अनुसार 100 व.मी. व्यावसायिक भूखण्ड पर सेटबैक नहीं है। परन्तु वर्तमान प्रचलित एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार 80 फीट चौड़ी सडक पर 4.5 मीटर व 12 मीटर चौड़ी सडक पर 3.0 मीटर सेटबैक आवश्यक है। प्रस्तुत भवन मापचित्र में सेटबैक नहीं दर्शाये गये हैं। जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं है, परन्तु वर्तमान प्रचलित एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार 50 व.मी से अधिक के भूखण्ड पर पार्किंग का प्रावधान आवश्यक है। प्रस्तुत भवन मानचित्र में सडक क्षेत्र में बालकनी दर्शायी गयी है जो कि अनुज्ञेय नहीं है। प्रकरण में जो.वि.प्रा. विनियम 2013 व एकीकृत भवन विनियम 2017 प्रावधानों के सम्बंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण व्यवसायिक योजना का भूखण्ड होने के कारण टाईप डिजाईन अनुमोदन हेतु उक्त योजना को एसोसियेशन को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा टाईप डिजाईन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
06	दक्षिण	<p>व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत्।</p> <p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 274/1 वगैरह के भूखण्ड संख्या 92/ए क्षेत्रफल 60.00 वर्गगज (50.16 वर्गमीटर)।</p> <p>आवेदक :- श्री अरुण चौधरी पुत्र श्री मांगीलाल चौधरी, जोधपुर।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> जारी साईट प्लान, जोधपुर भवन विनियम -2013 अनुसार जारी है, जिसके अनुसार 100 व.मी. व्यावसायिक भूखण्ड पर सेटबैक नहीं है। परन्तु वर्तमान प्रचलित एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार 80 फीट चौड़ी सडक पर 4.5 मीटर व 12 मीटर चौड़ी सडक पर 3.0 मीटर सेटबैक आवश्यक है। प्रस्तुत भवन मापचित्र में सेटबैक नहीं दर्शाये गये हैं। जो.वि.प्रा. विनियम 2013 के बिन्दु सं. 8.3(अ) के बिन्दु (iii) के अनुसार पार्किंग का प्रावधान आवश्यक नहीं है, परन्तु वर्तमान प्रचलित एकीकृत भवन विनियम 2017 अनुसार 50 व.मी से अधिक के भूखण्ड पर पार्किंग का प्रावधान आवश्यक है। प्रस्तुत भवन मानचित्र में सडक क्षेत्र में बालकनी दर्शायी गयी है जो कि अनुज्ञेय नहीं है। प्रकरण में जो.वि.प्रा. विनियम 2013 व एकीकृत भवन विनियम 2017





			<p>प्रावधानों के सम्बंध में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण व्यवसायिक योजना का भूखण्ड होने के कारण टाईप डिजाईन अनुमोदन हेतु उक्त योजना के एसोसियेशन को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा टाईप डिजाईन प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।</p>
07	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1101/740/7, भूखण्ड क्षेत्रफल 403.75 वर्गगज (336.87 वर्ग मीटर) पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन निर्माण स्वीकृती बाबत्।</p> <p>आवेदक :- श्री राजेन्द्र बोराणा पुत्र श्री परसराम बोराणा जोधपुर।</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक द्वारा जोविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र देगा कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तों की पालना पूर्ण रूपेण करेगा। 2. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है। 3. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जाना आवश्यक है। 4. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 5. भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 6/2017 वीं बैठक दिनांक 15.12.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में संबंधित उपायुक्त से स्वामित्व, लीज इत्यादि की जांच बाबत् टिप्पणी ली जानी अपेक्षित है। 6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के बिन्दु संख्या 9.6 (i) अनुसार यदि किसी भूखण्ड में पार्श्व (साइड) व पीछे का सैटबेक 2 मीटर से कम हो एवं प्रार्थी सैटबेक रेखा तक तहखाना बनाना चाहता है तो ऐसी दशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण के हित में क्षतिपूर्ति बंध पत्र देना होगा। अतः प्रकरण में क्षतिपूर्ति बंध पत्र लिया जाना अपेक्षित है। <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण को निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन भवन अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बिन्दु संख्या 1, 2 व 6 के क्रम में अण्डरटेकिंग, शपथ-पत्र व क्षतिपूर्ति बंध पत्र लिया जावे। 2. बिन्दु संख्या 3 के क्रम में भूजल विभाग से अनापत्ति लिया जावे। 3. बिन्दु संख्या 5 के क्रम में संबंधित उपायुक्त से स्वामित्व, लीज इत्यादि की जांच बाबत् टिप्पणी ली जावे। 4. भवन विनियम अनुसार आवश्यक शुल्क लिया जावे तथा नियमानुसार प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा कर प्राधिकरण को अवगत करवावे।


अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।



(महेन्द्र सिंह राठौड़)
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



(अरुण पुरोहित)
सचिव/आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



श्री सुखराम
निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


श्री अरवि कुमार
उपायुक्त (पूर्व)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


श्रीमती चंचल वर्मा
उपायुक्त (पश्चिम)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



श्री अनिल पुनिया
उपायुक्त (उत्तर)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


श्री राकेश शर्मा
उपायुक्त (दक्षिण)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर


(श्री.अरुण बेनिवाल)
निदेशक आयोजना-श्व सदस्य सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. उपायुक्त (पूर्व), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त (पश्चिम), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (उत्तर), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
8. उपायुक्त (दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
9. विशेषाधिकारी अध्यक्ष, जो.वि.प्रा. जोधपुर को सूचनार्थ।
9. एसीपी श्री देवेन्द्र गेहलोत को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करें।


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)


क्रमांक :- 4255-4261

दिनांक :- 08.06.2018

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 03/2018 वीं बैठक दिनांक 08.06.2018 को जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित निम्नवत थी:-

- | | |
|--|----------------|
| 1. श्री महेन्द्र सिंह राठौड़, अध्यक्ष, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री अरुण पुरोहित, सचिव/आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य / संयोजक |
| 3. श्री सुखराम चौधरी, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री श्रवण कुमार उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्रीमति चंचल वर्मा, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त (उत्तर) व (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 8. श्री पी.आर. बेनीवाल निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |


निदेशक (आयोजना),
एवं सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: 773-936-3700
WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

RECEIVED
DATE: 10/12/2000
FROM: [illegible]
TO: [illegible]
SUBJECT: [illegible]

10/12/2000
[illegible]
[illegible]